पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), *E-mail ID- academicprsu2@gmail.com*

क्रमांक : 236 /अका./2020 रायपुर, दिनांक : 15 /09/2020

।। अधिसूचना ।।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.09.2020 में अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय क्रमांक 3 में **विनियम "Regulation relating to Examination during COVID-19 Pandemic (COVID-19 महामारी के दौरान परीक्षा से संबंधित विनियम) (Under the provisions of Ordinance 5)"** की अनुशंसा का अनुमोदन कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10.09.2020 में पूरक विषय सूची क्रमांक 01 में अनुमोदित किया गया है, जो निम्नांकित है –

Regulation No.-182

Regulation relating to Examination during COVID-19 Pandemic
(COVID-19 महामारी के दौरान परीक्षा से संबंधित विनियम)

(Under the provisions of Ordinance 5)

(E.C. under 10-09-2020)

यह विनियम COVID-19 महामारी के संक्रमण के फलस्वरूप लाकडाउन होने के कारण स्थगित परीक्षाओं के आयोजन एवं परीक्षा–परिणाम के प्रावधानों को निर्दिष्ट करेगा।

1. परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।
2. वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत अंतिम वर्ष तथा सेमेस्टर पद्धति अंतर्गत अंतिम सेमेस्टर एवं सभी कक्षाओं के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये परीक्षा का आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा–
   - 2.1 जिन प्रश्नपत्रों की परीक्षा आयोजित हो चुकी है, उनका मूल्यांकन किया जाएगा तथा बचे हुए प्रश्नपत्रों की परीक्षा हेतु विद्यार्थियों को प्रश्नपत्र Online (E-mail आदि) पर भेजा जाएगा।
   - 2.2 परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर घर पर ही लिख कर भेजेंगे। उत्तर लिखने की समय सीमा एवं उत्तर भेजने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।
   - 2.3 निर्धारित अंतिम तिथि तक परीक्षार्थी उत्तर–पुस्तिका परीक्षा केंद्र में व्यक्तिगत जमा कर सकेंगे। विशेष परिस्थिति में Email अथवा परीक्षा–केंद्र पर स्पीड पोस्ट से पोस्ट करने का विकल्प दिया जाएगा।
   - 2.4 किसी भी कारण से परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित अथवा जारी परीक्षाफल से असंतुष्ट परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने का एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। इसके लिए स्थितियाँ सामान्य होने पर विश्वविद्यालय द्वारा विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
3. नियमित परीक्षार्थियों हेतु वार्षिक परीक्षा पद्धति के अंतर्गत अंतिम वर्ष एवं सेमेस्टर परीक्षा पद्धति के अंतर्गत अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं हेतु वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा आयोजित नहीं करते हुए इन सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अंकसूची/परीक्षाफल निम्नलिखित रीति से तैयार किया जाएगा–
   - 3.1 जिन प्रश्नपत्रों की परीक्षा आयोजित हो चुकी है, उनका मूल्यांकन किया जाएगा तथा बचे हुये प्रश्नपत्रों के प्राप्तांक की गणना गतवर्ष के प्राप्तांक/आंतरिक मूल्यांकन/असाइनमेंट कार्य के आधार पर की जाएगी तथापि गतवर्ष के प्राप्तांक को 50 प्रतिशत से अधिक अधिभार नहीं दिया जाएगा।
   - 3.2 **प्रथम** वर्ष/सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के बचे हुए प्रश्नपत्र/विषयों मे प्राप्तांकों का निर्धारण आंतरिक मूल्यांकन/असाइनमेंट के आधार पर किया जाएगा।
   - 3.3 अन्य वर्ष/सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के बचे हुए प्रश्नपत्रों/विषयों में प्राप्तांक के **50% का निर्धारण विगत परीक्षा में प्रदर्शन** एवं शेष **50% का निर्धारण उस प्रश्नपत्र/विषय के आंतरिक मूल्यांकन/असाइनमेंट** के आधार पर किया जाएगा।
     - 3.3.1 जिन पाठ्यक्रमों में आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान है उन में प्राप्तांक के **50%** का निर्धारण आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

8.10.20

3.3.2 जिन पाठ्यक्रमों में आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान **नहीं** है उन में प्राप्तांक के **50%** का निर्धारण असाइनमेंट के मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

तदनुसार यदि किसी प्रश्नपत्र/विषय में पूर्णांक **50** हो तो इसके **50%** अर्थात **25** अंक में प्राप्तांक का निर्धारण विगत परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर एवं शेष **25** अंक में प्राप्तांक का निर्धारण आंतरिक मूल्यांकन/असाइनमेंट के आधार पर किया जाएगा एवं दोनों के योग से उस प्रश्नपत्र/विषय में प्राप्तांक का निर्धारण किया जाएगा।

उदाहरणार्थ– यदि किसी परीक्षार्थी को विगत परीक्षा में कुल 900 अंकों में से 628 अंक प्राप्त हुए थे तथा वर्तमान में इस प्रश्नपत्र हेतु आंतरिक मूल्यांकन/असाइनमेंट में 50 अंको में से 30 अंक प्राप्त हुए हैं तो इस परीक्षार्थी का इस प्रश्नपत्र में प्राप्तांक निम्नानुसार होगा–

(1)	प्रश्नपत्र के सैद्धांतिक भाग में पूर्णांक	50
(2)	विगत परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत (दशमलव के दो अंकों तक सन्निकट मान)	69.78
(3)	इस आधार पर प्रश्नपत्र के 25 अंक में प्राप्तांक	17.45
(4)	आंतरिक मूल्यांकन/असाइनमेंट के 50 अंको में प्राप्तांक	30
(5)	आंतरिक मूल्यांकन/असाइनमेंट के आधार पर प्रश्नपत्र के 25 अंक में प्राप्तांक	15
(6)	प्राप्तांक [(3) + (5)]	32.45
(5)	प्रश्नपत्र के सैद्धांतिक भाग 50 अंक में प्राप्तांक (पूर्णांक में सन्निकट मान)	**32**

3.4 उपर्युक्त पद्धति से जारी अंकसूची के स्थान पर यदि कोई विद्यार्थी श्रेणी सुधार करना चाहे, तो आगामी वर्ष/सेमेस्टर की विशेष परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

4. **प्रायोगिक परीक्षाओं में प्राप्तांक का निर्धारणः** उपरोक्त सभी परीक्षाओं में जिन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएँ संपन्न हो चुकी हैं उनमें परीक्षा में प्राप्त अंक परीक्षार्थी को प्रदान किया जाएगा। जहां प्रायोगिक परीक्षा नहीं हो सकी है, वहाँ परीक्षार्थी के प्रायोगिक रिकार्ड एवं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्राप्तांक का निर्धारण किया जाएगा।

5. उपर्युक्त व्यवस्था केवल शिक्षा सत्र 2019–20 के लिए प्रभावशील होगा।

आदेशानुसार,

[signature] 11.9.20

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 237 /अका./**2020** — रायपुर, दिनांक : 15/**09/2020**

प्रतिलिपि :

1. माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक–सी.–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
4. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
5. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
6. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
7. उ.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/विकास/उ.कु.स. सामान्य प्रशासन/वित्त नियंत्रक,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

[signature] 11.9.20

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)